Case no.121/2022

II—156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
08.03.2026	परिवादी द्वारा श्री टी.सी. पाटीदार अधिवक्ता। अभियुक्त अनुपस्थित। प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है। परिवादी द्वारा नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण एवं न्यायालय से बाहर उभयपक्ष का आपसी समझौता होने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से परिवादी के द्वारा परिवाद अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम का प्रस्तुत किया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में व्यक्त किया है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक की राशि न्यायालय के बाहर अदा कर दी गई है तथा उन्होंने पूर्ण संतुष्टि में उक्त आवेदन पत्र किया हैं। उभयपक्ष द्वारा न्यायालय से बाहर राजीनामा स्वेच्छयापूर्वक बिना भय अथवा प्रलोभन के बिना दुरभिसंधि के किया जाना प्रतीत होता है। परिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित है कि वे सदर प्रकरण चलाना नही चाहते है। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को दृष्टिगत रखते हुए धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम राजीनामा योग्य होने से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार परिवाद पत्र निरस्त किया जाता है। परिवादी द्वारा बैंक विवरण प्रस्तुत करने पर लोक अदालत में राजीनामा होने से परिवादी को न्याय शुल्क वापसी हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जावे। परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र इस आदेश का भाग रहेगा। प्रकरण का परिणाम अंकित कर विहित अभिलेखागार भेजा जावे। (शिवांगनी भट्ट) जे.एम.एफ.सी. व पीठासीन अधिकारी नेशनल लोक अदालत मण्डलेश्वर खण्डपीठ कमांक–08 (श्री सलीम खान अधिवक्ता) सदस्य नेशनल लोक अदालत मण्डलेश्वर (श्रीमती सुनिता भालसे) पी.एल.व्ही.सदस्य नेशनल लोक अदालत मण्डलेश्वर	